

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-144/2021

धारा-144 दं०प्र०सं०

अरुण चौधरी -बनाम- साधु चौधरी वगै०

2

तारीख -:आदेश:- अभियुक्ति

आवेदक के आवेदन के आधार पर वाद कि कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके पश्चात उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं मौजा मानगो थाना चलकुशा जिला हजारीबाग के खाता सं० 50 प्लॉट सं० 304 रकबा 0.20 ए० जिसकी चौहदी 30-अनुप चौधरी, द०-रास्ता नीज, पू०-जी०एम० खाता 13, प०-नीज एवं खाता सं० 52 प्लॉट सं० 304 रकबा 0.16 ए० जिसकी चौहदी 30-नीज, द०-नेमा चौधरी, पू०-बोधो चौधरी, प०-प्रथम पक्ष वाली भूमि पर धारा 144 दं०प्र०सं० के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर उनसे अपना-अपना कारण पृच्छा एवं भूमि संबंधी कागजात माग की गयी।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना कारण पृच्छा दाखिल कर अपना पक्ष रखा।

**विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :-**

मौजा-मानगो, थाना-चलकुशा, जिला-हजारीबाग।

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
50	304 / 597	0.20 ए० मधे 0.14 ए०	30-अनुप चौधरी द०-रास्ता नीज पू०- जी०एम० खाता 13 प०-नीज
52	304	0.16 ए०	30-नीज द०-नेमा चौधरी पू०- बोधो चौधरी प०- प्रथम पक्ष

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के आवेदन एवं द्वितीय पक्ष के कारणपृच्छा, उभय पक्षों के दाखिल कागजात एवं अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने-अपने स्वत्व के आधार पर दखल कब्जा का दावा कर रहे हैं। जो दं०प्र०सं०-144 के अन्तर्गत वाद का निपटारा किया जाना संभव नहीं है।

उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपने-अपने कागजातों के आधार पर अपने-अपने भूमि का स्वत्व (title) एवं दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में अपना वाद दाखिल करने को स्वतंत्र है।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित  
13/11/21  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
बरही, हजारीबाग

13/11/21  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
बरही, हजारीबाग